I/1865/2024

I/1865/2024

संख्या 1865 जी0एस0(शिक्षा) / A11-125 / 2015

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 20 जून, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 230818035220, दिनांक 02.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तथा बी0एससी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	**बी0एससी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	60 सीट प्रति विषय	2021–22, 2022–23 एवं 2023–24
		बी0एससी0 (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	
		बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल)	80 सीट प्रति विषय	2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 24/06/2024 03:46 pm

I/1865/2024

विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

- महाविद्यालय में व्याख्यान कक्ष एवं बहुउद्देशीय कक्ष मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हित प्रभावित होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रमों में 05 सत्रों का सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव एक साथ प्रेषित किया गया है इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि महाविद्यालय बिना सम्बद्धता के 04–05 सत्रों से संचालित हो रहा है। इस प्रकार ही अन्य महाविद्यालयों के 04–05 सत्रों की सम्बद्धता के प्रस्ताव एक साथ प्रेषित किये जा रहे हैं, जो कि कदाचित उचित नहीं है। विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत महाविद्यालय सहित, विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों/संस्थानों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय प्रेषित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 20-06-2024 21:42:46

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 1865/जी0एस0(शिक्षा)/A11-125/2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह०

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 24/06/2024 03:46 pm